

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- अशोक सांगवा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 105/2008

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र श्री मोहनलाल		1. नेमीचन्द पुत्र श्री बस्तीमल
2. उमरावमल पुत्र श्री मोहनलाल जातियान जैन निवासी भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		2. हीरालाल पुत्र श्री बस्तीमल जाति जैन निवासीगण 24 जी, 9 वी गली जोगूपलियम अल्सुर, बैंगलोर-8
		3. आसुराम पुत्र श्री कानाराम जाति विश्णोई, निवासी अरटिया खुर्द, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
		4. प्रेमकीदेवी पत्नी श्री आसुराम जाति विश्णोई निवासी अरटिया खुर्द, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
		5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 30.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी। वादीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाजे दिलायी गयी वादीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा